

# फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

लय

गोवर्धन सिंह

बनाम

बिहारी सिंह कौर

II संख्या / वर्ष २५/२०१० :

प्राथमिक पत्र  
/20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
19/1/१०	<p>वकील प्रार्थी उक्त वास्ते तलवी अर्थात् गण दिनांक 7-1-21 को पेश है तब तक पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>	
07/4/१०	<p>वकील प्रार्थी उक्त पेशेकार सत्कार उक्त अर्थात् सं- 1, 5, 8, 16/11 उपस्थित हुए तामील का अवलोकन किया गया तामील अर्थात् गण सम्पत्क व पर्याप्त मानी गयी। अर्थात् सं- 2, 3, 4, 6, 7, 9 वावजूद सूचना अनुपस्थित इनको का वक्त आवाक मजबूती मानी कोई उपस्थित नहीं हुआ उक्त इनके सिद्ध सिफ पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रवाली कानून बहस 7/9 दिनांक 1/12/3-21 को पेश है तब तक पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>	<p style="text-align: center;">21/11/१०</p> <p style="text-align: center;">बिहारी सिंह</p> <p style="text-align: center;">[Signature]</p> <p style="text-align: center;">21/11/१०</p> <p style="text-align: center;">[Signature]</p>
16/2/१०	<p>आज यह कावली मूल याद में शीघ्र पुनर्वापी प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेशी से तलब से मानी मूल काद विद्वा का दावा खारिज हो चुका है अतः प्रार्थना पत्र प्रभावी</p>	

**उपखण्ड अधिकारी**

**विशदनगर (जयपुर)**

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	गोधनी ए. विज्ञान विस्तृत रूप से विहारी सिंह को 25/2020 प्राणिक
----------	------------------------------	---

दोनों से स्वार्थिक भिन्नता ज्ञात है  
फगावली फैसल युक्त दोन  
काल दफ्तर से एक दिन  
मूल वाद रहे।

**उपखण्ड अधिकारी**  
**विशदनगर (जयपुर)**